उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

गुरूवार, 28 आश्विन, शक संवत्, 1927

(दिनांक : 20 अक्टूबर, 2005)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "**क**")।

2. प्रश्न (देखिए नत्थी "**ख**")।

3. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष, 2005 के द्वितीय सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।

4. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 की धारा 71 की उपधारा (3) के उपवन्धों के अधीन, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल अल्प संख्यक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-13 में दिये गये प्राविधानो के अनुसार उत्तरांचल अल्प संख्यक आयोग 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

6. मुख्य मंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे।

7. श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम, 2005 को सदन के पटल पर रखेंगे।

8. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल राज्य हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा-8 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार, उत्तरांचल राज्य हज समिति के वर्ष, 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे।

....2/....

9. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अनुसार माननीय लोक आयुक्त उत्तरांचल का दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 तक का प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित सदन के पटल पर रखेंगे।

10. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

11. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, सदस्य, विधान सभा, "जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनाली के उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में" श्री विनोद रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्रीमती आशा नौटियाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उनियाणा में जूनियर हाईस्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री यदुवीर सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी ग्राम अठाली में पेयजल लाईन व्यास बढ़ाने व विस्तार के सम्बन्ध में" श्री जयेन्द्र सिंह पंवार एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के राजकीय जूनियर हाईस्कूल स्यानाचट्टी (नौगांव) का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती पुष्पा राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा, "जनपद नैनीताल में दोगड़ा के तोक घट्गाड में बलियानाले से उपयोगी भूमि कटाव रोकने के सम्बन्ध में" श्री कैलाश सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

17. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

18. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

19. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1981) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

....3/....

20. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1981) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।

21. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

22. मुख्य मंत्री, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।

23. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"**ग**")

24. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

25. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय (30 मिनट)।

प्रस्तावक का नाम	**संशोधन का रूप**
(क) 1. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 2. श्री प्रकाश पन्त, 3. श्री मदन कौशिक, 4. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 5. श्री कैलाश शर्मा, 6. श्री गोविन्द लाल शाह, 7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 8. श्री विशन सिंह चुफाल, 9. श्री अजय भट्ट,	"उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"
(ख) 1. श्री काशी सिंह ऐरी, 2. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 3. श्री प्रीतम सिंह पंवार, 4. श्री पुष्पेश त्रिपाठी।	--- तदैव ---

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

26. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

27. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय (15 मिनट)।

....4/....

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
(क) 1. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 2. श्री प्रकाश पन्त, 3. श्री मदन कौशिक, 4. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 5. श्री कैलाश शर्मा, 6. श्री गोविन्द लाल शाह, 7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 8. श्री विशन सिंह चुफाल, 9. श्री अजय भट्ट,	"सिविल प्रकिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"
(ख) 1. श्री काशी सिंह ऐरी, 2. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 3. श्री प्रीतम सिंह पंवार, 4. श्री पुष्पेश त्रिपाठी।	--- तदैव ---

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

28. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सिविल प्रकिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

29. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय (15 मिनट)।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
(क) 1. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 2. श्री प्रकाश पन्त, 3. श्री मदन कौशिक, 4. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 5. श्री कैलाश शर्मा, 6. श्री गोविन्द लाल शाह, 7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 8. श्री विशन सिंह चुफाल, 9. श्री अजय भट्ट,	"उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"
(ख) 1. श्री काशी सिंह ऐरी, 2. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 3. श्री प्रीतम सिंह पंवार, 4. श्री पुष्पेश त्रिपाठी।	--- तदैव ---

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

30. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

31. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय (15 मिनट)।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
(क) 1. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 2. श्री प्रकाश पन्त, 3. श्री मदन कौशिक, 4. श्री कैलाश शर्मा, 5. श्री गोविन्द लाल शाह, 6. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 7. श्री विशन सिंह चुफाल,	"उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"
(ख) 1. श्री काशी सिंह ऐरी, 2. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 3. श्री प्रीतम सिंह पंवार, 4. श्री पुष्पेश त्रिपाठी।	--- तदैव ---

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

32. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

33. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुत किया जाना :-

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
1. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 2. श्री प्रकाश पन्त, 3. श्री मदन कौशिक, 4. श्री कैलाश शर्मा, 5. श्री गोविन्द लाल शाह, 6. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 7. श्री विशन सिंह चुफाल, 8. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 9. श्री अजय भट्ट।	"यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2005 का अननुमोदन करता है।"

34. कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय (15 मिनट)।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री काशी सिंह ऐरी, 2. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 3. श्री पुष्पेश त्रिपाठी।	"उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

35. कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

36. मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय (30 मिनट)।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री काशी सिंह ऐरी, 2. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, 3. श्री पुष्पेश त्रिपाठी।	"उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

37. मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

38. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाय।"

....7/....

39. श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गो के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।"

40. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुतू को, चार धाम पद याात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम यात्रा की कार्य-योजना से जोड़ा जाए।"

41. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की प्रकिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किया जाए।"

42. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

43. उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 के अधीन विकल्प के आधार पर उत्तरांचल राज्य हेतु सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति का कोटा समान न होने के सम्बन्ध में डा0 हरक सिंह रावत, श्री फूल सिंह बिष्ट, डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री किशोर उपाध्याय, श्री गणेश गोदियाल, श्री रणजीत सिंह रावत एवं श्री उम्मेद सिंह मांजिला, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 को दी गई सूचना पर, मुख्य मंत्री का नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 20 अक्टूबर, 2005

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 28 आश्विन, शक संवत्, 1927

(दिनांक : 20 अक्टूबर, 2005)

नत्थी ''क''

अल्पसूचित प्रश्न

काजी निजामुद्दीन
06-09-2005

**1. क्या गन्ना मंत्री अवगत हैं कि राज्य में स्थापित समस्त चीनी मिलों के पेराई सत्र 2005-06 में मांग के सापेक्ष राज्य में गन्ने की मात्रा में कमी के कारण चीनी मिलें बन्दी के कगार पर हैं? यदि हाँ, तो सरकार चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध करवाने हेतु क्या कदम उठा रही है? गन्ना

श्री मदन कौशिक
21-09-2005

**2. क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा वर्तमान पेराई सत्र, 2005-06 हेतु गन्ने का मूल्य निर्धारित कर लिया है? यदि हाँ, तो मूल्य निर्धारण हेतु क्या नीति अपनायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? गन्ना

नत्थी ''ख''

तारांकित

श्री मदन कौशिक 08-06-2005	*1. क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये खाद्यान्न की कोई योजना बनायी गयी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	खाद्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 14-06-2005	*2. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य स्थापना से वर्तमान तक उद्यान विभाग में 6 निदेशक बिना सेवानिवृत्त हुए बदले गये तथा विभाग में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लाये निदेशक नियुक्त किये गये हैं? क्या प्रतिनियुक्ति पर निदेशक पद पर नियुक्ति किये जाने के स्थान पर विभागीय अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा नियमित निदेशक नियुक्त किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री प्रकाश पन्त 28-08-2005	*3. क्या खेल मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल के ओलम्पिक संघ को राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगितायें कराने हेतु प्रदत्त धनराशि के दुरूपयोग की शिकायतों की जांच सरकार द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या जांच का विवरण प्रस्तुत करेंगे?	खेल
डा0 नारायण सिंह जन्तवाल 06-07-2005	*4. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वर्तमान समय में कितनी औद्यानिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि समितियो को अधिक प्रभावी बनाने के लिये सरकार कोई ठोस योजना बना रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान

अतारांकित

श्री हरबंस कपूर 22-08-2005	1. क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले के राशन को उठाने हेतु त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गयी है? यदि हाँ, तो उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कोटेदार को राशन उठाने से पूर्व किस से अनुमति लेनी पड़ती है? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि पटवारियों का अधिकांश समय क्षेत्रीय कार्यो में व्यतीत होने के कारण उन की उपलब्धता कम रहती है फलस्वरूप कोटेदारों एवं ग्रामीणों को खाद्य आपूर्ति हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था में व्यापक सुधार करेगी? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नही?	खाद्य

श्री कैलाश शर्मा 23-08-2005	2. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल खेल विभाग से विभिन्न खेलों के कितने प्रशिक्षक नियुक्त हैं? क्या सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्येक जनपद में विभिन्न खेलों हेतु खेल प्रशिक्षक नियुक्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**खेल**
श्री कैलाश शर्मा 24-08-2005	3. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल को स्पोर्टस एथेलैटिक से प्रशिक्षक उत्तरांचल को दिये गये हैं? यदि हाँ, तो कितने? यदि नहीं, तो क्यों?	**खेल**
श्री विशन सिंह चुफाल 01-08-2005	4. क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में गेहूँ एवं चावल प्रति कार्ड के हिसाब से वितरित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो सरकार प्रति कार्ड के बजाय प्रति यूनिट के हिसाब से रसद वितरित कराना सुनिश्चित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**खाद्य**
श्री प्रकाश पन्त 28-08-2005	5. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कुल कितने पद जिला क्रीडा अधिकारी, उप क्रीडाधिकारी तथा खेल प्रशिक्षकों के जनपदवार रिक्त हैं? क्या सरकार पदोन्नति के माध्यम से तथा सीधी भर्ती के माध्यम से उक्त पदों को भरने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	**खेल**
श्री नारायण पाल 30-08-2005	6. क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश को जड़ी-बूटी प्रदेश बनाये जाने की दिशा में सरकार की कोई कार्ययोजना है? क्या सरकार इस दिशा में कोई कारगर प्रयास कर रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**उद्यान**
श्री नारायण पाल 30-08-2005	7. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खाद्य उपज के भण्डारण की पूर्ण क्षमता है? यदि नहीं, तो क्या सरकार की नये भण्डार गृह बनाये जाने की कोई कार्य योजना है? क्या सरकार की ब्लाक सितारगंज जिला उधमसिंह नगर में भी नया भण्डारगार बनाये जाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**खाद्य**
श्री हरबंस कपूर 03-06-2005	8. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत पंचायत कर्मियों को सरकार द्वारा राज्यकर्मी घोषित किये जाने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?	**पंचायती राज**

नत्थी (ग)

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 6 अक्टूबर, 2005 की बैठक में दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 से दिनांक 24 अक्टूबर तक के उपवेशन के कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

अक्टूबर, 2005

20 गुरूवार

1- विधायी कार्य

(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(3) उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(4) उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(5) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(6) उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

2-नियम-103 के विगत सत्रों की लम्बित निम्न सूचनाओं पर चर्चा।

(क) श्री मदन कौशिक

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाए।"

(ख) श्री नारायण पाल

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गो के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।"

(ग) श्री बलवीर सिंह नेगी

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुत्तू को चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चाम धाम यात्रा की कार्य-योजना से जोड़ा जाए।"

(घ) श्री मदन कौशिक

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किया जाए।"

21 शुक्रवार

असरकारी दिवस

1. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा के असरकारी विधेयक "उत्तरांचल सीमान्त क्षेत्र (विकास एवं प्रबन्ध) विधेयक, 2005 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

2 - दिनांक 20 जनवरी, 2005 के लम्बित निम्नलिखित संकल्पों पर चर्चा :-

(1) श्री प्रकाश पन्त

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कुशल प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तरांचल में राजस्व पुलिस को सुदृढ़ एवं सक्षम बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनायी जाए।"

(2) श्री काशी सिंह ऐरी,

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों, निगमों, परिषदों एवं अन्य अर्धसरकारी संस्थानों में रिक्तियों को भरने हेतु ली जाने वाली परीक्षा एवं साक्षात्कारों का परीक्षाफल अंक तालिका सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।"

(3) श्रीमती विजय बड़थ्वाल

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम तथा ग्राम सभा जौंक को मिलाकर नगर पंचायत बनाया जाए।"

(4) श्री मदन कौशिक,

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियन्त्रण पर संस्तुति हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए।"

(5) श्रीमती आशा नौटियाल

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ की ग्राम पंचायत ऊखीमठ, ग्राम पंचायत अगस्त्यमुनी तथा ग्राम पंचायत गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाया जाए।"

3-निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद उत्तरकाशी के वरूणावत भूस्खलन पीड़ितों को शीघ्र पुनर्वासित किया जाए।"

2. श्री मदन कौशिक

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाय जो एक निश्चित समयावधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।"

3. श्री प्रकाश पन्त

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला तथा मुनस्यारी एवं जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र में रहने वाली समस्त जातियों को जनजातियों हेतु अनुमन्य सुविधाएं प्रदत्त की जाए।"

4. श्री बलवीर सिंह नेगी

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रतिवर्ष होने वाली सहस्त्रताल, क्यार्खी बुग्याल, मासरताल यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं तथा बूढ़ाकेदार सहस्त्रताल तक सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग को तीर्थ मार्ग के रूप में विकसित किया जाए।"

5. श्रीमती विजय बड़थ्वाल

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल के समस्त राष्ट्रीय पार्क, पशु विहार, मृग विहार एवं संरक्षित वनों के आसपास के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिये योजना बनाकर विकास किया जाए।"

4- नियम-103 की विगत सत्रों की लम्बित निम्न सूचनाओं पर चर्चा :-

(1) श्री काशी सिंह ऐरी — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गुलदार, भालू एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा मारे गये तथा घायल व्यक्तियों को मुआवजे की धनराशि बढ़ाते हुए मानक तय किये जांय और इसे जल्द से जल्द पीड़ित व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु एक समयबद्ध नीति बनाई जाए।"

(2) डा0 नारायण सिंह जन्तवाल — "इस सदन का सुनिश्चित मत है ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जांय।"

(3) श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु सरकार कानून बनाए।"

(4) श्री गगन सिंह रजवार — "यह सदन सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तरांचल के पर्वतीय अंचलों में निवास करने वाली लुप्त प्राय वन राजि आदिम जनजाति के संरक्षण, संवर्धन एवं उत्थान की व्यवस्था करें।"

(5) श्री मदन कौशिक — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में चार धाम यात्रा के लिए यात्रियों को अधिक से अधिक आकर्षित करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए।"

24 सोमवार

1- औपचारिक कार्य

2- विधायी कार्य

(1) उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण।